समाज कल्याण विभाग

मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,

दिल्ली गेट, नई दिल्ली–02

अतांराकित प्रश्न संख्याः- 396

दिनॉकः - 28.03.2018

प्रश्नकर्ताः - श्री महेन्द्र गोयल

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग (दिव्यांग) लोगों के लिए कौन–सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसकी विस्तृत जानकारी क्या है ?	1) विकलांग व्यक्तियों हेतु आर्थिक सहायता (पेंशन) योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत रूपये 2500/– (प्रतिमाह) की सहायता राशि प्रदान की जाती हैं । योजना की पात्रता निम्न प्रकार है– • आयु सीमा 0 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। • प्रार्थी गत 5 वर्ष से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। • प्रार्थी की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हों। • परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रू0 से अधिक न हो। • प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो। 2) विभाग निशक्त जन हेतु "नेशनल प्रोग्राम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसबिलिटीस" (एन.पी.आर.पी.डी.) के अंतर्गत सामान्य विकलांगता शिविर, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से आयोजित करता है। इस शिविर के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं । इन शिविरों के आयोजन की जानकारी समय–समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। 3) दिल्ली अनुदान योजना के अंतर्गत, विभाग, गैर सरकारी संस्थाओं, संगठनों को जो विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहीं है, को अनुदान देती है।

Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002

		वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 7 एन.जी.ओ. को अनुदान दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के अंतर्गत गैर–सरकारी संस्थाओं, संगठनों को जो विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको अनुदान देने की प्रक्रिया अभी विचाराधीन है। 4) समाज कल्याण विभाग द्वारा उन गैर सरकारी संस्थाओं को संस्तुति भारत सरकार को की जाती है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे कि दीन दयाल रिहैबिलिटेशन स्कीम (डीडीआरएस), अवेयरनस जनरेशन प्रोगाम (एजीपी), असिस्टेंश टू डिसअब्ल्ड परसन फॉर पर्चेसिंग / फीटिंग ऑफ एडस / एप्लीएंसिस स्कीमस (एडीआईपी) और स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन आफ परसन्स विद डिसअबिलिटी एक्ट (एसआईपीडीए) के तहत आवेदन करते हैं। वर्ष 2017–18 में विभाग द्वारा 02 संस्थाओं को अनुदान देने हेतु संस्तुति दी गई। 5) विभाग द्वारा मानसिक बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए 4 हाफ–वे–होम शुरू हो चुके हैं, जिसमें से दो हाफ–वे–होम (महिलाओं) के लिए सेक्टर–3, रोहिणी (क्षमता 40 लोग) में हैं। 6) सुगम्य भारत अभियान का क्रियान्वयन केंद्रीय सरकार ने 3 दिसंबर, 2015 को शुरू किया जिसके तहत, इमारतों, यातायात व संचार के साधनों में विकलांगों के लिए सुगम्यता बढ़ाई जाए। अभियान के पहले चरण के अंतर्गत दिल्ली की 23 इमारतों का ऑडिट किया गया। जिनमें से 19 इमारतें दिल्ली सरकार की हैं। ऑडिट के अनुसार केंद्र सरकार ने 19 इमारतों में सुधार व सुगम्य बनाने के लिए लगभग 14 करोड़ रुपये राज्य सरकार को स्थानांतरण कर दिया है।

Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002